




विधान सभा तांरांकित प्रश्न क्रमांक 915, परिशिष्ट-“अ”

1. छत्रसाल स्टेडियम:- “ठेकेदार को उसकी मॉग अनुसार 06 माह की समय वृद्धि इस शर्त के साथ दी जाती है कि आगामी 06 माह में कार्य न करने पर निविदा निरस्त कर रिस्क एण्ड कास्ट पर पुनः निविदा आमंत्रित की जायें” का संकल्प पारित किया गया था उक्त हेतु ठेकेदार को निकाय के सूचना पत्र क्र.881 दिनांक 06.03.2024 से सूचित कर दिया गया है। वर्तमान में ठेकेदार द्वारा छत डालने का कार्य किया जा रहा है। कार्य प्रगतिरत है। 05 सितम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण करा लिया जाना लक्षित है।
2. श्री जुगल किशोर जी स्टेडियम निर्माण कार्य:- ठेकेदार द्वारा 30 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
3. बड़ी देवी मंदिर का पुल निर्माण एवं सड़क निर्माण:- ठेकेदार द्वारा समयावधि में पूर्ण नहीं करने के कारण कार्य निरस्त हेतु परिषद बैठक दिनांक 23.02.2024 को रखा गया था, जिसमें बैठक के संकल्प क्रमांक.04 के द्वारा “ठेकेदार को उसकी मॉग अनुसार 06 माह की समय वृद्धि इस शर्त के साथ दी जाती है कि आगामी 06 माह में कार्य न करने पर निविदा निरस्त कर रिस्क एण्ड कास्ट पर पुनः निविदा आमंत्रित की जायें” का संकल्प पारित किया गया था उक्त हेतु ठेकेदार को निकाय के सूचना पत्र क्र.882 दिनांक 06.03.2024 से सूचित कर दिया गया है। कार्य अप्रगतिरत है ठेकेदार को दी गई समय सीमा 06 माह में कार्य न करने पर परिषद के संकल्प के पालन में निविदा निरस्त कर रिस्क एण्ड कास्ट पर पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा सकेगी।
4. धरम सागर रिंड रोड निर्माण कार्य:- ठेकेदार द्वारा समयावधि में पूर्ण नहीं करने के कारण कार्य निरस्त हेतु परिषद बैठक दिनांक 23.02.2024 को रखा गया था, जिसमें बैठक के संकल्प क्रमांक. 05 के द्वारा “ठेकेदार को उसकी मॉग अनुसार 06 माह की समय वृद्धि इस शर्त के साथ दी जाती है कि आगामी 06 माह में कार्य न करने पर निविदा निरस्त कर रिस्क एण्ड कास्ट पर पुनः निविदा आमंत्रित की जायें” का संकल्प पारित किया गया था उक्त हेतु ठेकेदार को निकाय के सूचना पत्र क्र.880 दिनांक 06.03.2024 से सूचित कर दिया गया है। कार्य अप्रगतिरत है ठेकेदार को दी गई समय सीमा 06 माह में कार्य न करने पर परिषद के संकल्प के पालन में निविदा निरस्त कर रिस्क एण्ड कास्ट पर पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा सकेगी।


 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 पन्ना (म.प्र.)


 Sub-Engineer
 Urban Administration
 & Development


 सहायक यंत्री
 नगरीय प्रशासन एवं विकास


 अनुभाग अधिकारी
 मध्यप्रदेश शासन
 नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग